

All Communications should be Addressed to Registrar by Designation and not by Name.

Letter No. 22388- / A.D.Misc./ IV-59(PF)-2021
22424

From,

Nawneet Kumar Pandey

Registrar General

HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

Fax No. : 0612-2504088

Ph.(Off.) P.B.X. - 2504071-73, 75 Ext- 601

2505318-19, 21 Off.- 2504394

Res. -2201926, Mob. :

Date: The 16th May, 2021

To,

All the District and Sessions Judges
of Bihar.

Subject: Directions regarding functioning of Courts in the present situation of Pandemic COVID-19.

Sir,

As directed, I am to request you to continue the directions of Hon'ble Court communicated vide Court's letter No. 22091-22127 dated 04/05/2021, till 22/05/2021.

This is for your information and needful.

Yours faithfully



Registrar General

Memo No. 6679-6830/Admn.

Patna, dated **16th** day of May, 2021

Copy along-with copy of Hon'ble Courts letter no. 22091-22127/A.D.(Misc.) dated 04.05.2021 forwarded to the District Magistrate, Patna / The Senior Superintendent of Police, Patna/ all the Courts / Nodal Officer / Judge-in-charge / Judge-in-charge (Nazarat) of Patna Judgeship / The Superintendent, Model Central Kara, Beur, Patna/ The Superintendent, Shivar Mandal Kara, Phulwarisharif / The Superintendent, Sub Jail, Patna City/Danapur/Barh/Masaurhi/ the Government Pleader, Patna / The Public Prosecutor, Patna / The District Prosecution Officer, Patna / the secretary, Bar Association, Patna Sadar Barh / Danapur / Patna City / Masaurhi / Paliganj / The System Officer, Patna / The System Assistants, Patna Judgeship / all the concerned for information and needful. The System Officer, Patna is directed to publish this Order on the website of the Civil Courts, Patna for information of all concerned.

Sunil Dutta Mishra

**District & Sessions Judge, Patna
16.05.2021**

Letter No. 22091-22127 /IV-58(PF)/2021/ A.D. (Misc.)

प्रेषक :

नवनीत कुमार पाण्डेय
महानियन्त्रक
उच्च न्यायालय, पटना

Telephone No.- 0612 - 2504111 (O)

Fax No. -: 0612-2504088

Nawneet Kumar Pandey
Registrar General
HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

To,

All the District & Sessions Judges of Bihar.

Dated 04th May, 2021


Sub- Direction regarding functioning of Courts in present situation of Pandemic COVID-19.

Sir,

As directed, " In view of the notification dated 4th May, 2021 bearing Memo no. G/ Aapda/ 06-02/2020- 2835 Patna (copy enclosed) of Home Department (Special Branch), Govt. of Bihar, all the Courts of District Judiciary, State of Bihar, shall only take up the extremely urgent matters, such as remand etc. and that too, unless otherwise not possible, only through virtual mode. This arrangement shall continue from 5th of May 2021 till 15th of May, 2021. It shall be ensured that unless necessarily required, no employee of the Judgeship shall leave their respective residences."

Encl.- As above (04 Sheets)

Yours faithfully,


Registrar General

बिहार सरकार
गृह विभाग (विशेष शाखा)
आदेश

ज्ञापांक - जी/आपदा-06-02/2020-2835

पटना, दिनांक- 04 मई, 2021

कोरोना वायरस जनित महामारी की दूसरी लहर से देश के अनेक राज्यों सहित बिहार में भी कोरोना पोजिटिव मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है। उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा विभागीय आदेश संख्या-2633 दिनांक 09.04.2021 के माध्यम से संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए कुछ प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई। इसी क्रम में कोरोना के संक्रमण के प्रसार की जिलावार समीक्षा के उपरान्त संक्रमण के मामलों को नियंत्रित करने एवं बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए विभागीय आदेश संख्या-40 (वि0स0को0) दिनांक 18.04.2021 तथा विभागीय आदेश संख्या-44/वि0स0को0 दिनांक 28.04.2021 के माध्यम से अतिरिक्त प्रतिबंध लागू किए गए हैं, जो 15.05.2021 तक लागू हैं।

- गृह सचिव, भारत सरकार के पत्र सं0- 40-3/2020-DM-I(A), दिनांक- 29.04.2021 के माध्यम से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत Implementation Framework for Community containment/ large containment Areas के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं। पत्र में यह निर्देश दिया गया है कि राज्य सरकार स्थिति के आकलन के आधार पर कोरोना की रोकथाम हेतु आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के अंतर्गत निर्दिष्ट उपाय कर सकती है।
- राज्य में पोजिटिविटी की दर पिछले एक सप्ताह से निरंतर 10 प्रतिशत से अधिक बनी हुई है। उपरोक्त प्रतिबंधों के बावजूद भी संक्रमण की स्थिति गंभीर है।
- वर्तमान में वायुयान एवं ट्रेनों का परिचालन हो रहा है। उनसे संबद्ध यात्रियों के लिए सार्वजनिक परिवहनों को भी कुछ प्रतिबंधों के साथ चलाना बाध्यकारी होगा।
- इस तरह के प्रतिबंधों के लगने से आम जन, विशेषकर श्रमिक, गरीब तबके के परिवार प्रतिकूल रूप से प्रभावित होते हैं। इसलिए उन्हें भी राहत पहुँचाना उचित होगा।

उपर्युक्त सभी बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए दिनांक 04.05.2021 की आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में दिनांक 05.05.2021 से 15.05.2021 तक निम्न प्रतिबंध लगाने एवं उससे संबंधित अग्रतर कार्रवाइयों को करने का निर्णय लिया गया:-

1. राज्य सरकार के सभी कार्यालय बंद रहेंगे।

अपवाद :- आवश्यक सेवाओं यथा - जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस, विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, स्वच्छता, फायरब्रिगेड, स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, कोषागार एवं उनसे सम्बन्धित वित्त विभाग के कार्यालय, दूरसंचार, डाक विभाग से

संबंधित कार्यालय यथावत कार्य करेंगे। न्यायिक प्रशासन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा लिया गया निर्णय लागू होगा।

2. दुकानें, वाणिज्यिक एवं अन्य निजी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।

अपवाद :-

- (क) बैंकिंग, बीमा, एवं ए.टी.एम. संचालन से संबंधित प्रतिष्ठान।
- (ख) औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान।
- (ग) सभी प्रकार के निर्माण कार्य (Construction Works)।
- (घ) E-commerce एवं Courier Services से जुड़ी सारी गतिविधियाँ।
- (ङ) कृषि एवं इससे जुड़े कार्य।
- (च) प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया।
- (छ) टेलीकम्यूनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं, ब्रॉडकास्टिंग एवं केबल सेवाओं से संबंधित गतिविधियाँ।
- (ज) पेट्रोल पम्प, एल.पी.जी., पेट्रोलियम आदि से संबंधित खुदरा एवं भण्डारण प्रतिष्ठान।
- (झ) आवश्यक खाद्य सामग्री तथा फल एवं सब्जी/मांस-मछली/दूध/पी.डी.एस. की दुकानें -प्रातः 7.00 बजे से 11.00 बजे पूर्वाह्न तक।
- (ञ) कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाएँ।
- (ट) निजी सुरक्षा सेवाएँ।
- (ठ) टेला पर फल एवं सब्जी की घूम-घूम कर बिक्री सहित।

अन्य सभी प्रतिष्ठान Work from Home के आधार पर कार्य कर सकते हैं।

3. अस्पताल एवं अन्य संबंधित स्वास्थ्य प्रतिष्ठान (पशु स्वास्थ्य सहित), उनके निर्माण एवं वितरण इकाईयां - सरकारी एवं निजी, दवा दुकानें, मेडिकल लैब, नर्सिंग होम, एम्बुलेंस सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान यथावत कार्य करेंगे।

4. सार्वजनिक स्थानों एवं मार्गों पर अनावश्यक आवागमन (पैदल सहित) पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

5. सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा।

अपवाद :-

- (क) पब्लिक ट्रांसपोर्ट में निर्धारित बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत के उपयोग की अनुमति रहेगी। केवल रेल, वायुयान अथवा अन्य लंबी दूरी यात्रा करने वालों तथा अनुमान्य सेवाओं से संबंधित व्यक्तियों को ही सार्वजनिक परिवहन के उपयोग की अनुमति होगी।
- (ख) स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियों में संलग्न वाहन एवं स्वास्थ्य प्रयोजनार्थ प्रयुक्त निजी वाहन
- (ग) अनुमान्य कार्यों से संबंधित कार्यालयों के सरकारी वाहन।

- (घ) वैसे निजी वाहन जिन्हें जिला प्रशासन द्वारा किसी विशेष कार्य हेतु ई-पास निर्गत है।
- (ड०) सभी प्रकार के माल वाहक वाहन।
- (च) वैसे निजी वाहन जिनमें हवाई-जहाज/ट्रेन के यात्री यात्रा कर रहे हो और उनके पास टिकट हो।
- (छ) कर्तव्य पर जाने हेतु सरकारी सेवकों एवं अन्य आवश्यक अनुमान्य सेवाओं के निजी वाहन।
- (ज) अंतर्राज्यीय मार्गों पर अन्य राज्यों को जाने वाले निजी वाहन
6. सभी स्कूल/कॉलेज/कोचिंग संस्थान/ट्रेनिंग एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। इस अवधि में राज्य सरकार के विद्यालय एवं विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी तरह की परीक्षाएँ भी नहीं ली जाएँगी।
 7. रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानें बंद रहेंगी। इनका संचालन केवल होमडिलीवरी के लिए प्रातः 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक अनुमान्य होगा। राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित ढाबे take home के आधार पर कार्यरत रह सकते हैं।
 8. सभी धार्मिक स्थल आमजनों के लिए बंद रहेंगे।
 9. सभी प्रकार के सामाजिक/राजनीतिक/मनोरंजन/खेल-कूद/शैक्षणिक/सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन/समारोह प्रतिबंधित होंगे।
 10. सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क एवं उद्यान पूरी तरह बंद रहेंगे।
 11. सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजन - सरकारी एवं निजी - पर रोक रहेगी।
 12. विवाह समारोह अधिकतम 50 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ आयोजित किए जा सकते हैं, किन्तु इनमें डीजे एवं बारात जुलूस की इजाजत नहीं होगी। विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम-से-कम 03 दिन पूर्व देनी होगी। अंतिम संस्कार/श्राद्ध कार्यक्रम के लिए 20 व्यक्तियों की अधिकतम रहेगी।

इसके अतिरिक्त निम्नानुसार अग्रतर कार्रवाई संबंधित विभाग एवं जिला प्रशासन द्वारा की जाएगी :-

- (क) सभी जिलाधिकारी अपने-अपने जिलान्तर्गत चिन्हित स्थानों पर सामुदायिक किचन स्थापित करेंगे।

(ख) रोजगार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के अन्तर्गत तथा शहरी क्षेत्रों में शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्य अनुमान्य होंगे।

(ग) सभी राशन कार्ड धारकों को मई माह में राशन की प्राप्ति हेतु किसी राशि का भुगतान नहीं करना होगा। उक्त राशि का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

सभी जिला पदाधिकारी इस आदेश के अनुपालन हेतु द० प्र० सं० की धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा निर्गत करेंगे।

उपरोक्त आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51-60 एवं भा.द.वि. की धारा 188 के प्रावधानों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।

Jh 4/5/21
मुख्य सचिव, बिहार

ज्ञापांक - जी/आपदा-06-02/2020-2835 पटना, दिनांक- 04 मई, 2021
प्रतिलिपि:- सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उप-महानिरीक्षक/सभी जिला पदाधिकारी/सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

वि.का.वि.नं. 13
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक - जी/आपदा-06-02/2020-2835 पटना, दिनांक- 04 मई, 2021
प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव/विकास आयुक्त/पुलिस महानिदेशक/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचन विभाग, बिहार/माननीय मुख्यमंत्री के सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

वि.का.वि.नं. 13
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक - जी/आपदा-06-02/2020-2835 पटना, दिनांक- 04 मई, 2021
प्रतिलिपि:- गृह सचिव, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

वि.का.वि.नं. 13
सरकार के विशेष सचिव